

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज0)
बईजलास श्रीमति शिल्पा सिंह, (आई0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- सुखा पिता श्री राम कुम्हार निवासी शाहपुरा - मृतक
- 1/1 श्रीमति कल्याणी पत्नी सुखा कुम्हार निवासी शाहपुरा
- 1/2 रामेश्वर पिता सुखा कुम्हार निवासी शाहपुरा
- 1/3 प्रभु पिता सुखा कुम्हार निवासी शाहपुरा
- 1/4 दुर्गा पुत्री सुखा कुम्हार निवासी शाहपुरा पत्नी जगदीश कुम्हार निवासी हाल पण्डेर तहसील जहाजपुर
- 1/5 जमना पुत्री सुखा कुम्हार पत्नी मदन कुम्हार निवासी शाहपुरा हाल साराश
- 1/6 गीता पुत्री सुखा कुम्हार पत्नी रामकिशन कुम्हार निवासी शाहपुरा हाल कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

बनाम

- वादीगण

- 1- मु0 सोहनी बेवा नंदा कुम्हार निवासी भीलवाडा
- 2- 3 शंकर, बरदू पिता नंदा कुम्हार निवासी भीलवाडा
- 4- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 88-89, 188 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 45 सन् 2000 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हजारी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

वावत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 12 माह 01 सन् 2021 को जारी की गई।



(शिल्पा सिंह आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाडा) राज.